अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

बलाबंदी अपील 04/2012

मो0 मोबीन

बनाम

आशिफ इकबाल एवं

बिहार, सरकार

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
12.10.2015	यह अपील मो0 मोबीन पिता मो0 मौजूद्दीन, सा0–सराय, साहो पो0+थाना–दरियापुर, जिला–सारण के द्वारा बलाबंदी वाद सं0 12/10–11 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.12 के विरूद्ध दाखिल आवेदन दिनांक 04.04.12 के आलोक में प्रारम्भ हुआ।	
	उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि आशिफ इकबाल वल्द मो0 नसीब सा0–सराय साहो (दक्षिण टोला) पो0+थाना–दरियापुर, जिला–सारण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर के न्यायालय में दिनांक 30.06.10 को निम्नलिखित भुमियों के सीमांकन हेतु आवेदन दाखिल किया गया–	

क्र0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा	चौहदी
1	147	1982	0–2–19	उ0–नीज आवेदक द0–सनाउल्लाह पु0–नीज आवेदक प0–मो0 मोबीन

2	182	1971	0–3–5	उ0–नीज आवेदक द0–रास्ता पु0–मो0 मोबीन प0–नीज आवेदक
3	146	1980	0–4–1	उ0–नीज आवेदक द0–मो0 मोबीन पु0–नीज आवेदक प0–मो0 मोबीन
4	146	1979	0–2–12	उ0–नीज आवेदक द0–मोबीन पु0–नीज आवेदक प0–नीज आवेदक

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर के द्वारा उक्त आवेदन के आलोक में संबंधित विपक्षियों मो0 मोबीन वल्द मो0 मोइजुदीन मतोफा एवं सनाउल्लाह वल्द वलि मोहम्मद सा0–सराय साहो, थाना–दरियापुर, जिला–सारण को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया, जिसके आलोक में विपक्षियों के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। साथ ही, आवेदक के आवेदन में दाखिल बिन्दुओं के प्रसंग में अपनी आपत्ति भी दर्ज की गई।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर के द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में दिनांक 13.01.12 को सुनवाई की गई। एवं सुनवाई के उपरांत विभिन्न बिन्दुओं पर विचार करते हुए विपक्षी की आपत्तिओं को खारिज कर दिया गया एवं आवेदक के आवेदन को स्वीकार करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

आज दिनांक 06.10.15 को उभय पक्षों की हाजरी प्राप्त हुई। सुनवाई

की गई। दोनो पक्ष अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विपक्षी के द्वारा निम्न न्यायालय में अपने आवेदन की कंडिका 02 में उल्लेख किया गया है कि प्रासंगिक जमीन उसकी अपनी सम्पति है, जिसका वह जानकार अधिवक्ता आयुक्त से सीमांकन कराना चाहता है। विपक्षी के द्वारा अपने आवेदन में वंशावली का उल्लेख नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय में कई बिन्दुओ पर अपनी आपत्ति दाखिल की गई थी जिसपर निम्न न्यायालय के द्वारा विचार नहीं किया गया एवं विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया। उनके द्वारा दाखिल कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियॉ इस प्रकार है–

1 विपक्षी का अपनी सम्पति पर अधिकार का गलत दावा करना।

2 विपक्षी के द्वारा प्रासंगिक जमीन में अपने हिस्सा का उल्लेख नही करना जो उसकी पैतृक सम्पति है।

3 विपक्षी के आवेदन में अंकित रकवा खतियान में अंकित रकवा से भिन्न है।

4 मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, पिता के जीवित रहते हुए, पुत्र को पैतृक सम्पति पर कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी के पिता एवं दादी जब जीवित है तो उन्हे मुकदमा दायर करने का भी अधिकार नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रासंगिक भूमि एक विवादित भूमि है जिससे संबंधित टाईटिल वाद सं0 28/99 सब जज प्रथम, व्यवहार न्यायालय छपरा के माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि खाता सं0 146, खेसरा 1979 रकवा 0–3–10, (खतियान के अनुसार) पर पुरी तरह से अपीलार्थी का अधिकार है, जिस पर वर्षो से एक आवासीय मकान बना हुआ है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नही है एवं इसमें कई बिन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः इसे निरस्त करते हुए अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विपक्षी के द्वारा निम्न न्यायालय में खेसरा सं0 1971, 1979, 1980 एवं 1982 के सीमाकंन के लिए आवेदन दाखिल किया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर के

द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.01.12 में खेसरा सं0 1982 को यह कहते हुए कार्यवाही से अलग कर दिया कि यह जमीन राज्य की हैं और संबंधित अंचल अधिकारी को इसकी मापी कराने एवं सीमाकंन कराने का अधिकार है। खतियान के परिसीलन से स्पष्ट है कि खेसरा 1971 फैजल हक और उश्मातुन निशा के नाम से है जो फैजल हक की बेटी है और जिनकी शादी मो0 नूर से हुई जो विपक्षी के पूर्वज है। इस तरह विपक्षी के परिवार के दखल कब्जा में खेसरा सं0 1971 है। खेसरा सं0 1980 मो0 नूर का है तथा खेसरा सं0 1979 फैजल करीम एवं मो0 नूर के नाम से संयुक्त रूप से खतियान में दर्ज है। बाद में फैजल करीम ने यह जमीन मो0 नूर को दे दी और इस तरह पुरा खेसरा स0 1979 विपक्षी के परिवार के दखल कब्जा में हो गया। जहॉ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पिता के जीवित रहते हुए पैतृक सम्पति के सीमांकन के आधार की बात हैं, इस बिन्दु पर कानून की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा अपनी पैतृक जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन दाखिल किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि खाता सं0 146, खेसरा सं0 1980, रकवा 0–4–1 एवं खेसरा सं0 1979, रकवा 0–3–10, विपक्षी की पैतृक जमीन है जहॉ उनका पुराना मकान भी है। यह दोनो जमीन आपस मे मिली हुई है तथा इसी जमीन के उतरी डंडार पर एक तार, एक नीम एवं एक जलेबी का पेड़ है जो काफी पुराना हो गया है। इनमें से एक पेड़ की डाल ऑधी में टुटकर विपक्षी के ऑगन में गिर गया है तथा इनका कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी तरह, अन्य पेड़ो के भी गिरने की संभावना बनी हुई है, जिससे जान माल का खतरा हो सकता है। इसे जब भी काटने की बात होती है तो अपीलार्थी के द्वारा लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया जाता है जबकि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में की गई मापी के उपरांत गाड़े गए पत्थर के अनुसार ये सभी पेड़ विपक्षी की जमीन में स्थित है और इन्हे काटने का इन्हे पूरा अधिकार है। अतः विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पेड़ कटवाने हेतु स्थानीय पुलिस को निदेशित करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षो को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातो के

परिसीलन के उपरांत मै पाता हूँ कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर के द्वारा उभय पक्षों से प्राप्त कागजात एवं दर्ज आपत्ति के प्रसंग में विस्तृत विवेचना करते हुए एक मुखर आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता मै महसूस नही करता हूँ। **अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 04.04.12 को अस्वीकृत किया जाता है।** साथ ही, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर को निर्देश है **कि वे जॉच करके देख ले। यदि विपक्षी के द्वारा बताए जा रहे पेड़ उनकी निजी जमीन में स्थित हो और यदि इनसे उनके आवास को खतरा हो तो वन विभाग, सारण छपरा के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित प्रावाधान के अनुरूप आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।**

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित।

12/10/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

12/10/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक, 945 /न्यायालय, दिनांक 12.10.2015

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर को उनके पत्रांक 595 दिनांक 14.09.12 के द्वारा प्रेषित अभिलेख (बलाबंदी वाद सं0 12/10–11 नाम आशिफ इकबाल बनाम मो0 मोबीन) मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

12/10/15

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी सारण छपरा

Balabandi Appeal 04-12 md mobin